



रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890

गवर्नमेंट नं० डब्लू० पी०-41

माहसंनस ट.पोस्ट एंटे इन्सिगनस टेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 जुलाई, 1998

आषाढ़ 12, 1920 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1265/सत्रह वि-1-1 (क)18-1998

लखनऊ, 3 जुलाई, 1998

अधि सूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 3 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान  
(संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान अधिनियम,  
1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारम्भ

संयुक्त प्रान्त अधि-  
नियम संख्या 1  
सन् 1939 की  
धारा 3 का  
संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल तया अल्कोहल बिक्री करघान अधिनियम 1939 की धारा 3 में, उपधारा (1) में,---

(क) खण्ड (क) में शब्द "चौदह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में शब्द "सोलह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी

प्रमुख सचिव।

No. 1265 (2)/XVII-V-1-1(KA)-18-1998

Dated Lucknow, July 3, 1998.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit, Diesel Oil Tatha Alcohol Bikri Karadhan (Sanshedhan Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 3, 1998.

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL  
AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 1998

[U. P. ACT NO. 17 OF 1998]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of Republic of India as follows :—

Short title and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall come in force at once.

Amendment of  
section 3 of  
U. P. Act no. 1  
of 1939

2. In section 3 of the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, in sub-section (1),—

(a) in clause (a) for the words "fourteen per cent" the words "twenty per cent" shall be substituted;

(b) in clause (b) for the words "sixteen per cent" the words "twenty per cent" shall be substituted.

By order,

Y. R. TRIPATHI

Pramukh Sachiv.